माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष

याचिका संख्या 115/जीटी/2013 (संशोधित)

निम्नलिखित के विषय में:

तीस्ता लो डैम चरण-।।। के संबंध में 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) के उद्ग्रहण हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन), विनियमावली, 1999 के विनियम 79(1) और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) के अंतर्गत याचिका।

याचिकाकर्ता :

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121 003

प्रतिवादीगण :
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
विद्युत भवन (8वीं मंजिल), ब्लॉक-डीजे,
सेक्टर-।।, साल्ट लेक, कोलकाता - 700 091 (पश्चिम बंगाल)

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	**विवरण**	**पृष्ठ संख्या**
1.	अनुक्रमणिका पृष्ठ	
2.	शपथ-पत्र	
3.	याचिका	
4.	**अनुबंध**	
।	**अनुबंध-।** : 19.01.2009 को अधिसूचित केंद्रीय विद्युत विनियामक	

	आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 और इसके उत्तरवर्ती संशोधनों में यथाविनिर्धारित संशोधित लेखा-परीक्षित फार्म-1 से फार्म 16	
II	**अनुबंध-II :** वित्तीय वर्ष 2013-14 का लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र	
III	**अनुबंध-III :** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को आरसीई का प्रस्तुतीकरण (दिनांक 30.12.2013 के पत्र की प्रति)	
IV	**अनुबंध-IV :** ऋण के आहरण के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य	
V	**अनुबंध-V :** क्यू-श्रृंखला बांडों, आर-1 श्रृंखला बांडों, भारतीय स्टेट बैंक और हैदराबाद स्टेट बैंक से ऋण के संबंध में दस्तावेज	
VI	**अनुबंध-VI :** 2013-14 के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु आवेदनपत्र शुल्क की अदायगी के समर्थन में दिनांक 05.11.2012 का पत्र	

एनएचपीसी लिमिटेड

(ए.के. पांडे)
मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक)
के माध्यम से

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 08.2014

<u>माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष</u>

याचिका संख्या 115/जीटी/2013 (संशोधित)

निम्नलिखित के विषय में:

तीस्ता लो डैम चरण-III के संबंध में 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) के उद्ग्रहण हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन), विनियमावली, 1999 के विनियम 79(1) और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) के अंतर्गत याचिका।

याचिकाकर्ता :

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121 003

प्रतिवादीगण :
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
विद्युत भवन (8वीं मंजिल), ब्लॉक-डीजे,
सेक्टर-II, साल्ट लेक, कोलकाता - 700 091 (पश्चिम बंगाल)

<u>याचिका सं. संख्या 115/जीटी/2013 (संशोधित) (तीस्ता लो डैम चरण-III) का सत्यापन करने के लिए शपथ-पत्र</u>

मैं, ए.के. पांडे, सुपुत्र श्री पी.एन. पांडे, आयु 55 वर्ष, एनएचपीसी लिमिटेड में मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) के रूप में कार्यरत, उपर्युक्त मामले में आवेदक, सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित प्रतिज्ञान और कथन करता हूं:

1. मैं एनएचपीसी लिमिटेड में मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) के रूप में कार्यरत हूं और उपर्युक्त मामले के तथ्यों से भली भांति परिचित हूं।

2. इस याचिका में किए गए कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और उपलब्ध दस्तावेजों/अभिलेखों और/या प्रबंधन के अनुमोदन पर आधारित हैं।

..... अगस्त, 2014 को फरीदाबाद में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया कि उपर्युक्त शपथ-पत्र की विषय-वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है, इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और उसमें से कोई सारवान बात छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

मेरे समक्ष शनाख्त की गई

<u>माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष</u>

याचिका संख्या 115/जीटी/2013 (संशोधित)

निम्नलिखित के विषय में:

तीस्ता लो डैम चरण-।।। के संबंध में 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) के उद्ग्रहण हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन), विनियमावली, 1999 के विनियम 79(1) और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) के अंतर्गत याचिका।

याचिकाकर्ता :

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121 003

प्रतिवादीगण :
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
विद्युत भवन (8वीं मंजिल), ब्लॉक-डीजे,
सेक्टर-।।, साल्ट लेक, कोलकाता - 700 091 (पश्चिम बंगाल)

<u>सादर निवेदन किया जाता है कि:</u>

1. तीस्ता लो डैम परियोजना, चरण-।।। पावर स्टेशन (4X33 = 132 मेगा वाट) 768.92 करोड़ रुपए की लागत पर आईडीसी के 60.41 करोड़ रुपए सहित पश्चि□म बंगाल राज्य में निष्पादित किए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा एनएचपीसी के पक्ष में अक्तूबर, 1993 में स्वीकृत किया गया था।
2. प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन तारीख अर्थात 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए तीस्ता लो डैम परियोजना, चरण-।।। की प्रशुल्क याचिका संख्या

115/जीटी/2013 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग प्रशुल्क विनियमावली, 2009 के विनियम-5 और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निर्धारण का आवेदन करने, आवेदन के प्रकाशन और अन्य संबंधित मामलों की प्रक्रिया) विनियमावली, 2004 और उनके उत्तरवर्ती संशोधनों के अनुसार 05.11.2012 को याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है।

3. तीस्ता लो डैम परियोजना, चरण-III के चार यूनिटों में से दो यूनिटों (यू#2 और यू#3) को दिनांक 01.04.2013 को, तीसरी इकाई (यू#4) को 01.05.2013 को और चौथी इकाई (यू#1) को 19.05.2013 को वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित कर दिया गया है। इस प्रकार, परियोजना को वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत 19.05.2013 से घोषित किया गया है। इसे दिनांक 20.05.2013 के शपथपत्र के द्वारा सूचि□त किया गया है।

4. माननीय आयोग ने अपने दिनांक 01.02.2013 के तकनीकी वैद्यीकरण द्वारा एनएचपीसी को निर्देश दिया कि परियोजना के चालू हो जाने पर वह वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तारीख को यथास्थिति संशोधित फार्म प्रस्तुत करे। निर्देश का संबंधित भाग नीचे प्रत्युपादित किया जाता है:

"ऊपर उल्लिखित विषय के संदर्भ में, मुझे आपको यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि आप शपथपत्र पर निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें .....

.....

(ii) परियोजना के चालू हो जाने पर, परियोजना की वास्तविक लागत का विवरण और वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तारीख को यथास्थिति संशोधित फार्म;"

5. तीस्ता लो डैम परियोजना, चरण-III (जिसे यहां इसके बाद तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन या टीएलडी-III पावर स्टेशन कहा जाएगा) के संबंध में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा याचि□का संख्या 115/जीटी/2013 में अभी कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। किसी प्रशुल्क आदेश/अनंतिम आदेश के अभाव में

याचि□काकर्ता अपने मूल लाभार्थी अर्थात डब्ल्यूबीएसईडीसीएल को वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से उनको आपूर्ति की गई ऊर्जा का बिल नहीं दे सकता।

6. प्रत्याशित/प्राक्कलित व्यय तथा प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन तारीख के आधार पर दायर की गई याचिका संख्या 115/जीटी/2013 निपटान हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के पास लंबित है। प्रशुल्क अवधि 2009-14 दिनांक 31.03.2014 को समाप्त हो गई है और सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा 2013-14 के लेखाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा माननीय आयोग के निर्देशों के अनुसार, पूर्ववर्ती याचि□का संख्या 115/जीटी/2013 के विरुद्ध संशोधित याचिका विचारार्थ प्रस्तुत है।

7. तीस्ता लो डैम परियोजना, चरण-।।। के संबंध में पूंजीगत लागत का पुनरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी के रूप में नियुक्त मैसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, बेंगलुरु ने मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है वाणिज्यिक प्रचालन तारीख को यथास्थिति 1972.99 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत की पुनरीक्षा की है। को दिनांक 23.10.2013 के शपथपत्र के द्वारा रिपोर्ट की प्रति केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग प्रस्तुत कर दी गई है।

8. जून 2013 की कीमत के स्तर पर 1972.99 करोड़ रुपए का संशोधित पूजीगत व्यय (आरसीई) विद्युत मंत्रालय को 30.12.2013 को प्रस्तुत किया गया है। यह धनराशि 87.62 करोड़ रुपए के मानक ऋण पर ब्याज को छोड़कर है। टीएलडी-।।। पावर स्टेशन के संशोधित पूजीगत व्यय (आरसीई) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा के विचाराधीन है।

9. वाणिज्यिक प्रचालन तारीख अर्थात 19.05.2013 को यथास्थिति अपुष्ट विद्युत की बिक्री से प्राप्त 67.60 लाख रुपए की आय का समायोजन करने के बाद

परियोजना की संशोधित लागत 1790.43 करोड़ रुपए बनती है **(लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र 2013-14 के अनुसार)**।

10. वाणिज्यिक प्रचालन तारीख को यथास्थिति अनुन्मोचित देयता 130.71 करोड़ रुपए है, जिसमें से 25.18 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2013-14 में उन्मोचि□त किए गए थे और शेष प्रशुल्क अवधि 2014-19 के दौरान उन्मोचि□त किए जाएंगे।

11. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, ऊपर पैरा 9 तथा 10 में उल्लिखित प्रभाव सहित तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन की वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तारीख के आधार पर याचि□का संख्या 115/जीटी/2013 के अनुबंध-I में संशोधन किया गया है। तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन के संबंध में 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के लिए प्रशुल्कके निर्धारत हेतु संशोधित **अनुबंध-I** संलग्न है।

12. लेखापरीक्षित व्यय 31.03.2013 को यथास्थिति 1844.67 करोड़ रुपए है और 31.03.2014 को यथास्थिति 1893.24 करोड़ रुपए है। इन आंकड़ों में 31.03.2013 को यथास्थिति 86.27 करोड़ रुपए और वाणिज्यिक प्रचालन तारीख अर्थात 19.05.2013 को यथास्थिति 87.62 करोड़ रुपए के मानक ऋण पर ब्याज शामिल नहीं है।

13. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 और उसके उत्तरवर्ती संशोधनों के आधार पर तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन के वार्षिक निर्धारित प्रभार 01.03.2013से 30.04.2013 (दो इकाइयों) के संबंध में 18.59 करोड़ रुपए, 01.05.2013 से 19.05.2013 (तीन इकाइयों) के संबंध में 15.73 करोड़ रुपए और 19.05.2013 से 31.03.2014 (सभी चार इकाइयों) के संबंध में 328.12 करोड़ रुपए परिकलित किए गए हैं, जैसाकि **अनुबंध-I** के **फार्म-I** में वर्णित है।

14. उपर्युक्त प्रशुल्क, उत्पादन केंद्रों से संबद्ध और/या संचरण प्रणाली पर होने वाली संस्थापनाओं में से किसी संस्थापना के संबंध में और/या जल, विद्युत के संचरण, पर्यावरणीय संरक्षण, विद्युत/ऊर्जा की बिक्री और/या आपूर्ति सहित, अतिरिक्त खपत या अन्य प्रकार की किसी खपत सहित बिजली के उत्पादन के संबंध में किसी सरकार (केंद्र/राज्य) और/या किसी अन्य स्थानीय निकायों/ प्राधिकरणों/ विनियामक प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए किसी सांविधिक करों, उद्ग्रहणों, शुल्कों, उप-कर, या किसी अन्य प्रकार के अधिरोपण (अधिरोपणों) को छोड़कर हैं।

15. ऊपर यथाउल्लिखित उक्त करों/ शुल्कों/ उप-कर/ उद्ग्रहणों/ प्रभारों आदि की बाबत किसी महीने में संबंधित प्राधिकरणों को एनएचपीसी द्वारा भुगतानयोग्य ऐसे करों/ शुल्कों/ उप-करों/ उद्ग्रहणों, प्रभार आदि की धनराशि का वहन और अतिरिक्त रूप से भुगतान प्रतिवादियों द्वाना एनएचपीसी को किया जाएगा और उनके द्वारा भुगतानयोग्य वार्षिक क्षमता प्रभारों के अनुपात में प्रतिवादियों द्वारा भुगतानयोग्य होगा।

16. पश्चिम बंगाल टीएलडीपी-।।। पावर स्टेशन का एकमात्र लाभार्थी है। इसलिए पश्चिम बंगाल आईईजीसी विनियमावली, 2010/राज्य ग्रिड संहित के अनुसार राज्य लोड प्रेषण केंद्र द्वारा समय-सूची, मीटरिंग और ऊर्जा लेखाकरण का कार्य किया जा रहा है। अत: माननीय आयोग से अनुरोध है कि प्रशुल्क में एसएलडीसी द्वारा लगाए गए प्रभारों के अनुसार याचिकाकर्ता को बिल प्रस्तुत करने की अनुमति देने की कृपा करें।

17. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 20.12.2012 के द्वारा 13% नि:शुल्क विद्युत (12% गृह राज्य का हिस्सा और 1% स्थानीय क्षेत्र विकास निधि) सहित पश्चि□म बंगाल को 100% विद्युत आबंटित की है। विद्युत के आबंटन के अनुसार पश्चि□म बंगाल राज्य को स्थानीय विकास निधि के लिए 1% अतिरिक्त नि:शुल्क विद्युत उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, आबंटन पत्र के

अनुसार, परियोजना के संस्थापन की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए परियोजना से प्रभावित प्रत्येक परिवार को याचिकाकर्ता द्वारा 100 यूनिट बिजली प्रति मास उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय आयोग से अनुरोध किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को प्रशुल्क के जरिए लाभग्राहियों/ प्रतिवादियों से इसकी वसूली करने की अनुमति प्रदान करे।

18. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 25.03.2013 के पत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत संयंत्रों के आस-पास के 5 कि.मी. क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था योजना वापस ले ली है। तदनुसार, हम, इस परियोजना के आस-पास के 5 किलोमीटर के अंदर गांवों के विद्युतीकरण के लिए व्यय की अनुमति देने हेतु मूल याचिका संख्या 115/जीटी/2013 में पैरा 30 पर दी गई अपनी प्रार्थना वापस लेते हैं।

19. याचि□काकर्ता ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के पास दायर अपनी याचि□का संख्या 115/जीटी/2013 में 80% एनएपीएएफ का दावा किया है। इसकी 2013-14 की अवधि के लिए अनुमति प्रदान करें।

20. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2011 के अनुसरण में याचि□का के लंबित रहने के दौरान याचि□काकर्ता को इस याचि□का में परिकलित किए गए (संशोधित **अनुबंध-I** का **फार्म-I)** वार्षिक निर्धारित प्रभार के 95% की दर से प्रतिवादियों को बिल देने की अनुमति प्रदान करें।

21. अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन तारीख अर्थात 01.04.2013 से 31.03.2014 के संबंध में याचिका दायर करने का शुल्क **5,80,000/- रुपए**, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क का भुगतान) विनियमावली, 2012 के अनुसार यूटीआर सं. एसबीआईएनएच12310544961 के जरिए पहले ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से

अंतरित कर दिया गया है और दिनांक 05.11.2012 के पत्र सं. एनएच/वाणिज्यिक/307/ 2012/1353 के अंतर्गत इसकी सूचना केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को दे दी गई है (पत्र की प्रति **अनुबंध-VI** के रूप में संलग्न है) कृपया इसकी वसूली प्रतिवादी से करने की अनुमति प्रदान करें।

22. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निर्धारण के लिए आवेदन करने, आवेदन के प्रकाशन और अन्य संबंधित मामलों की प्रक्रिया) विनियमावली, 2004 के अनुसार मूल प्रशुल्क याचिका सं. 115/जीटी/2013 के लिए नोटिसों के प्रकाशन में किए गए खर्च की प्रतिवादियों से वसूली किए जाने की अनुमति प्रदान करे। ऐसे वास्तविक व्यय का विवरण आयोग को बाद में प्रस्तुत किया जाएगा।

23. 83,805 रुपए की धनराशि 2012 के दौरान मूल प्रशुल्क याचिका संख्या 115/जीटी/2013 के लिए नोटिसों के प्रकाशन में खर्च की गई है, कृपया इसे प्रतिवादियों से वसूल किए जाने की अनुमति प्रदान करें।

<u>प्रार्थना</u>

इसमें ऊपर किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, माननीय आयोग से निम्नलिखित प्राथ्रना की जाती है:

1. कि टीएलडीपी-।।। परियोजना (याचिका सं.115/जीटी/2013) संबंधी याचिका के अनुबंध-। में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाए।

2. कि 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए तीस्ता लो डैम-।।। पावर स्टेशन का प्रशुल्क (एएफसी) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 के अनुसार निर्धारित किया जाए।

3. यह कि तीस्ता लो डैम-।।। पावर स्टेशन के संबंध में वार्षिक निर्धारित प्रभार **अनुबंध-।** के **फार्म-।** के अनुसार इस प्रकार हैं:

01.04.2013 से 30.04.2013	01.05.2013 से 18.05.2013	19.05.2013 से 31.03.2014
18.50 करोड़ रुपए	15.73 करोड़ रुपए	328.12 करोड़ रुपए

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 और समय-समय पर इसके संशोधनों के अनुसार वार्षिक निर्धारित प्रभारों की इन धनराशियों को मंजूर किया जाए और माननीय आयोग द्वारा पहले से ही विनिर्धारित तरीके से प्रतिवादियों द्वारा भुगतान हेतु बिल दिए जाने की याचिकाकर्ता को अनुमति प्रदान की जाए।

4. एनएचपीसी को अनुमति प्रदान की जाए कि वह इस याचिका के लंबित रहने के दौरान वार्षिक निर्धारित प्रभार के 95% की दर से प्रतिवादियों को बिल दे। यह केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2011 के अनुसरण में है।

5. कि याचिकाकर्ता द्वारा उद्ग्रहणों, करों, शुल्कों, उप-कर, प्रभारों, फीस आदि, यदि कोई है, के लिए प्रतिवादियों को बिल दिए जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

6. कि प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 और समय-समय पर इसके संशोधनों के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन तारीख (अर्थात 01.02.2013) से आगे, उनके द्वारा दिए जाने वाले अन्य प्रभारों सहित विद्युत/ऊर्जा की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता द्वारा जारी किए गए बिलों का भुगतान याचिकाकर्ता को करें।

7. कि शुल्क दाखिल करने और पैरा 21 और 22 के अनुसार प्रशुल्क याचिका के लिए नोटिस प्रकाशित करने में किए गए खर्च की वसूली के लिए कृपया समुचित निर्देश पारित किए जाएं।

8. कि 2013-14 की अवधि के लिए टीएलडीपी-।।। का एनएपीएफ 80% अनुमोदित किया जाए।

9. कि पैरा-16 के अनुसार, समय-सूची, बैठक आदि के लिए एसएलडीसी द्वारा लागए गए प्रभार की प्रतिवादी/लाभार्थी से वसूल करने की अनुमति प्रदान करें ।

10. ऐसा अन्य और अगला/अगले आदेश पारित किया जाए/किए जाएं, जो इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझा/समझे जाएं।

एनएचपीसी लिमिटेड

(ए.के. पांडे)
मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक)
के माध्यम से

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 13.08.2014